नीलामी की सूचना एव शर्तें

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 17.03.2021 के अनुक्रम में पुनः नीलामी हेतु जनपद न्यायालय सोनभद्र के अन्तर्गत प्रांगड़ जजी खण्ड एवं मुन्सफी खण्ड में स्थित दुकानों का, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, की नीलामी वर्ष 2021–22 (माह अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के लिये दिनांक 25.03.2021 समय अपरान्ह 04:00 बजे जनपद न्यायालय सोनभद्र के परिसर में करायी जायेगी। नीलामी संबंधी अन्य जानकारी के लिये नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, सोनभद्र में सम्पर्क किया जा सकता।

इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी की तिथि को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक निर्धारित नगद जमानत की धनराशि नजारत अनुभाग में जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा तथा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्तियों की बोली स्वीकार होने के दूसरे दिन बोली की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 (प्रथम किस्त के रूप में) भाग जैसा की बोली के समय नीलामी समिति द्वारा आदेशित किया जायेगा नजारत अनुभाग में जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की धनराशि जब्त करके द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाले को यह अवसर दे दिया जाएगा। उच्चतम बोली की शेष 3/4 भाग तीन बराबर किश्तों में जमा करनी होगी, जिसमें से द्वितीय किश्त जून 2021 के अन्तिम सप्ताह, तृतीय किश्त सितम्बर 2021 के अन्तिम सप्ताह तथा चतुर्थ किश्त दिसम्बर 2021 के अन्तिम सप्ताह में सुरक्षा धनराशि समायोजित करते हुये जमा करना होगा। बोली स्वीकार हो जाने की दशा में 100.00 रूपया के स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट निष्पादित कराना होगा। जिसमें निम्नलिखित शर्तें होंगी :–

1. यह कि द्वितीय पक्ष नीलामी एवं अपने सामानों की सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगा एवं सफाई का जिम्मेदार होगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष के ठेके की अवधि दिनांक 01.04.2021 से प्रारम्भ होगी और दिनांक 31.03.2022 तक रहेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष का जिस काम का ठेका होगा वह स्वयं करेगा किसी अन्य को दुकान ठेके पर नहीं देगा।
4. यह कि उपरोक्त शर्तो को यदि द्वितीय पक्ष पालन नही करता है तो उसके द्वारा जमानत धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका निरस्त होने पर हर्जाना यथास्थिति अवशेष धनराशि की सीमा तक द्वितीय पक्ष से वसूल कर लिया जाएगा।
5. यह कि उपरोक्त ठेके से उत्पन्न सम्पूर्ण विवाद के सन्दर्भ में एक मात्र क्षेत्राधिकार **जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र** को ही होगा।
6. यह कि ठेके की शर्तों का पालन न करने पर एवं हुई हानि की वसूली पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करके लैण्ड रेवेन्यू की तरह धन वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
7. यह कि उपरोक्त रुप में प्राप्त ठेके के बावत शर्तो के उलंघन की दशा में युक्ति–युक्त सुनवाई के अवसर के अधीन ठेका निरस्तीकरण का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र का होगा।

दुकानों आदि का विवरण जिनकी नीलामी की जानी है :–

क.स.	दुकानों का नाम	स्थान का नाम	जमानत धनराशि
1	फोटो स्टेट	जजी खण्ड (पुरानी ट्रेजरी बिल्डिग के बायें साइड)	5000.00
2	कैन्टीन	मुन्सफी खण्ड	10000.00
3	फोटो स्टेट	मुन्सफी खण्ड	5000.00

नोटः–

1. जिन ठेकेदारों के नाम काली सूची में है वे बोली बोलने के लिए अधिकृत नहीं होगें ।
2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए बोली नहीं बोलेगा।
3. नीलामी की बोली की शर्त मन्जूर करने पर ही कोई ठेकेदार बोली बोलने का अधिकारी होगा।
4. बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार **जनपद न्यायाधीश सोनभद्र** को होगा।
5. दिवालिया घोषित व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी नहीं होगा।
6. विधि अनुसार संविदा करने मे सक्षम व्यक्ति ही बोली बोलने का अधिकारी होगा।

18.03.2021	Netrapal Singh 18.03.2021	18.03.2021
(सूरज मिश्र)	(नेत्रपाल सिंह)	(अशोक कुमार–XI)
सि0 जज सी0 डि0,	द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश/ प्रभारी अधिकारी–नजारत	प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
दुकानों की नीलामी समिति	दुकानों की नीलामी समिति	दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र	जनपद न्यायालय सोनभद्र	जनपद न्यायालय सोनभद्र